



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं0 पटना 608) पटना, वृहस्पतिवार, 11 जून 2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

9 जून 2026

सं0 प्र04-ब०1-01/2008-खण्ड/2953—चूंकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम-7) की धारा-9 के अधीन "सलाहकार बोर्ड" का पुनर्गठन आवश्यक है;

अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, पटना को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश, श्री बिरेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायाधीश, श्री नवनीत कुमार पाण्डेय (सेवानिवृत्त), को सदस्य के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त करते हुए तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनंद,
सरकार के सचिव।

9 जून 2026

सं0 प्र04-ब०1-01/2008-खण्ड/2953 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनंद,
सरकार के सचिव।

The 9th June 2026

No. प्र04-ब01-01/2008-खण्ड/2953—Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (Act 7 of 1980);

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Mr. Justice Mr. Sudhir Singh (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Justice Mr. Birendra Kumar (Retired) and Hon'ble Justice Mr. Nawneet Kumar panday (Retired) as Members on the basis of nomination of Hon'ble Chief Justice, Patna High Court, Patna with immediate effect, and accordingly the said Board is hereby reconstituted.

By order of the Governor of Bihar,
Deepak Anand,
Secretary to the Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 608-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>